न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और राजीव नारायण के समक्ष

सुखदेव सिंह और अन्य - याचिकाकर्ता

बनाम

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और अन्य- उत्तरदाता

2012 का सीडब्ल्यूपी नंबर 12904

27 अगस्त 2012

भारत का संविधान, 1950-कला. 14 और 16-दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डीआईआईबीवीएनएल) - सहायक के रूप में नियुक्ति। लाइनमैन - पहले बुनियादी योग्यता दो साल के आईटीओ कोर्स के साथ मैट्रिकुलेशन थी - सहायक। लाइनमैन कनिष्ठ अभियंता के रूप में पदोन्नति के हकदार - 18.9.2002 को सेवा नियमों में संशोधन किया गया और केवल ऐसे सहायक लाइनमैन को पदोन्नति दी गई।

निचले पद पर काम करते हुए ए0एम0आई0ई्ध्बीई डिग्री या तीन साल का डिप्लोमा रखने वाले लोग पदोन्नति के हकदार हैं- चुनौती अधिसूचना में संशोधन करना है जिसमें पदोन्नति के लिए आईटीआई के साथ मैट्रिक पास करने वाले व्यक्तियों पर विचार करने का कोई प्रावधान नहीं है - उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पदों का वर्गीकरण माना जाता है कानूनी रूप से स्वीकार्य है। रिट याचिका खारिज।

माना गया, कि उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पदों का वर्गीकरण कानूनी रूप से स्वीकार्य है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों से निकाला जा सकता है।

(पहरा न04)

आगे कहा गया, कि किसी को भी पदोन्नति का मौलिक अधिकार नहीं है। कैडर समीक्षा पर प्रशासन की दक्षता के अनुरूप नियोक्ता के लिए पदोन्नति पदों के लिए उच्च योग्यता निर्धारित करना और कम योग्य फीडर श्रेणी के स्रोतों को विचार के क्षेत्र से बाहर करना हमेशा खुला रहता है। याचिकाकर्ताओं को प्रोनोशनल रास्ते से बाहर करने का परिणाम कठोर प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह विवादित संशोधन के माध्यम से व्यक्त विधायी अभ्यास का एक स्वाभाविक परिणाम है। जब तक एक उचित वर्गीकरण मौजूद है, जो प्रतिवादी निगम जैसी प्रमुख सार्वजनिक उपयोगिताओं के आधुनिकीकरण की निरंतर मांगों को पूरा करने के लिए क्षेत्र में उच्च योग्य जूनियर इंजीनियरों को लाने के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, तब तक हम किसी को दोष नहीं दे सकते। मनमाना, अनुचित या विकृत, इस प्रकार का संशोधन व्यापक जनहित में किया गया। अधिसूचना को संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 के विपरीत नहीं कहा जा सकता।

(पहरा 6)

याचिकाकर्ताओं के वकील सुशील जैन

त्।श्रप्ट छ।त्।प्छ त्।प्छ।ए श्र.

(1) 18.09.2002 से पहले, प्रतिवादी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी0एच0बी0वी0एन0एल0) में सहायक लाइनमैन के पद पर नियुक्ति के लिए मूल योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से दो साल के आईटीआई पाठ्यक्रम के साथ मैट्रिकुलेशन थी। सहायक लाइनमैन कनिष्ठ अभियंता के पद पर पदोन्नति के हकदार थे। हालाँकि, 18.09.2002

को, सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन किया गया था। संशोधन केवल ऐसे सहायक लाइनमैन को अनुमति देता है निचले पद पर काम करते हुए जूनियर इंजीनियर के रूप में आगे पदोन्नति के लिए एएमआईईध्बीई डिग्री या तीन साल का डिप्लोमा होना चाहिए। दिनांक 18.09.2002 की संशोधित अधिसूचना में कनिष्ठ अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई के साथ मैट्रिक पास व्यक्तियों पर विचार करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस याचिका में इस संशोधन को चुनौती दी गई है.

(2) यह प्रस्तुत किया गया है कि संशोधन से पहले सहायक लाइनमैन की सीधी नियुक्ति के समय, डिप्लोमा योग्यता वाले कुछ व्यक्तियों को उच्च योग्यता का लाभ दिया गया था, जबकि निर्धारित न्यूनतम योग्यता आईटीआई के साथ मैट्रिक थी। सीधी भर्ती से उच्च योग्यता प्राप्त उन लोगों ने नियुक्ति के समय अधिकारियों के समक्ष एक वचनध्शपथ पत्र दायर किया था कि वे आगे पदोन्नति के लिए वरिष्ठता की अनदेखी करके किसी भी बाहरी लाभ का दावा नहीं करेंगे। अब आक्षेपित संशोधन द्वारा, याचिकाकर्ताओं को अधर में छोड़ दिया गया है और परिणामस्वरूप, योग्यता के आधार पर नए नियमों के संचालन द्वारा सहायक लाइनमैन की वरिष्ठता सूची को अलग कर दिया गया है, जबकि पहले एक संयुक्त वरिष्ठता सूची थी।

(3) श्री सुशील जैन, विद्वान वकील, याचिकाकर्ताओं की ओर से पूर्व में अधिसूचित अराजपत्रित तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति नीति को संशोधित करने वाली अधिसूचना के माध्यम से दिनांक 18.09.2002 (पी-6) में किए गए संशोधन को चुनौती दे रहे हैं। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड अधिसूचना दिनांक 10.10.1988, दिनांक 14.03.1990 और 19.05.1995 की अधिसूचनाओं के साथ पढ़ी गई, यह बताती है कि अधिसूचना मनमानी है क्योंकि यह याचिकाकर्ताओं को कनिष्ठ अभियंता (फील्ड) के पद पर पदोन्नति के लिए विचार करने से पूरी तरह से बाहर कर देती है। योग्यता में वृद्धि जो उनके पास नहीं है। कनिष्ठ अभियंता (फील्ड)

के पद को भरने के लिए संशोधन-पूर्व अनुपात सीधी भर्ती द्वारा 60ः और वरिष्ठता-सह-योग्यता के सिद्धांत पर पदोन्नति द्वारा 40ः था। हालाँकि, संशोधन ने पैरा 1.4.2 के तहत आने वाली श्रेणियों के पदोन्नत कोटा को बनाए रखते हुए सीधी भर्ती को 60ः से घटाकर 40ः कर दिया है, लेकिन सभी तकनीकी संवर्गों के बीच वरिष्ठता-कमरिट आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाने वाला 20ः कोटा निर्धारित किया है। -अधीनस्थ कर्मचारी, जैसे कि इस नए 20ः कोटा का पदोन्नति की योजना में पहले कोई स्थान नहीं था। आक्षेपित संशोधन इस प्रकार हैः-

"20ः कोटा वरिष्ठता-कमरिट पर पदोन्नति से भरा जाएगा।

मीटर मैकेनिकध्लैब असिस्टेंटध्हेल्पर ग्रेड जे, हेल्पर ग्रेड प्प्ध्आरडब्ल्यूएमध्टी.मेटध्ड्राफ्ट्समैनध्इंस्ट्रयुमैंट/मेक। आदि के पास इलेक्ट्रिकलध्मैकेनिकलध्इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बी0ई0ध्ए0एम0आई0ई0 की योग्यता या इलेक्ट्रिकलध्मैकेनिकलध्इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, बशर्ते उनके पास जेईध्फील्ड के उपरोक्त पद पर 31 मार्च, 2002 को 3 साल का सेवा अनुभव हो। जैसा कि ऊपर बताया गया है, 3 साल के अनुभव के साथ ठम्श्र।डप्म्ध्3 साल की डिप्लोमा योग्यता रखने वाले कर्मचारियों के संबंध में रैंकिंग सूची प्रत्येक वर्ष के 1 अगस्त को तैयार की जाएगी (जैसा कि 31ध्7 को मौजूद था) और एक वर्ष के लिए वैध होगी। रैंकिंग सूची में चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता अंतिम आहरित वेतनमान के अनुसार निर्धारित की जाएगी, जिसमें उच्च वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारी को वरिष्ठ स्थान दिया जाएगा। यदि ऐसे दो या दो से अधिक कर्मचारियों द्वारा प्राप्त वेतनमान समान है, नियमित प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख और यदि ऐसी सेवा भी समान अवधि की है तो पुराने कर्मचारी को छोटे कर्मचारी से वरिष्ठ माना जाएगा।

(4) अधिसूचना को अपनी चुनौती में, श्री जैन ने चंद्रावती पी.के. मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है। और अन्य बनाम सी.के. साजी और अन्य (1), पी. मुरुगेसन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य (2), पंजाब राज्य बिजली बोर्ड पटियाला और अन्य बनाम रविंदर कुमार शर्मा और अन्य (3), भारतीय खाद्य निगम और अन्य। बनाम परषोतम दास बंसल और अन्य। (4) और हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, पंचकुला बनाम करतार सिंह (5) में इस न्यायालय का निर्णय और एस.पी. दुबे और आदि बनाम दिल्ली नगर निगम और अन्य में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय (6)।

(5) उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पदों का वर्गीकरण कानूनी रूप से स्वीकार्य है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों से निकाला जा सकता है, जिन्हें वर्तमान में और अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है।

मामले में, रूप चंद अदलखा और अन्य बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य (7), शैलेन्द्र दानिया और अन्य बनाम एस.पी. दुबे और अन्य (8) का संदर्भ दिया जा सकता है। जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम श्री त्रिलोकी नाथ खोसा और अन्य (9), मोहम्मद शुजात अली और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (10), एम. रथिनास्वामी और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य (11) और जनरल प्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद और अन्य बनाम ए.वी.आर. सिद्धान्ती और अन्य (12)।

(6) यह भी अब तक तय हो चुका है कि किसी को भी पदोन्नति का मौलिक अधिकार नहीं है। कैडर समीक्षा पर प्रशासन की दक्षता के अनुरूप नियोक्ता के लिए पदोन्नति पदों के लिए उच्च योग्यता निर्धारित करना और कम योग्य फीडर श्रेणी के स्रोतों को विचार के क्षेत्र से बाहर करना हमेशा खुला रहता है। याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति के रास्ते से बाहर करने का परिणाम कठोर

प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह विवादित संशोधन के माध्यम से व्यक्त विधायी अभ्यास का एक स्वाभाविक परिणाम है। श्री जैन द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया, उन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ने से वास्तव में उनके मामले को नकार दिया गया और 2002 के संशोधन के खिलाफ उनकी चुनौती को कुंद कर दिया गया। जब तक एक उचित वर्गीकरण मौजूद है, जो प्रतिवादी निगम जैसी प्रमुख सार्वजनिक उपयोगिताओं को संशोधित करने की निरंतर मांगों को पूरा करने के लिए क्षेत्र में उच्च योग्य जूनियर इंजीनियरों को लाने के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, तब तक हम निंदा नहीं कर सकते। मनमाना, अनुचित या विकृत, इस प्रकार का संशोधन व्यापक जनहित में किया गया। अधिसूचना को संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 के विपरीत नहीं कहा जा सकता। 2002 में संशोधन के बाद वरिष्ठता का विभाजन अपरिहार्य होगा। कनिष्ठ अभियंता (फील्ड) की नौकरी की नई मांगों को पूरा करने के लिए सेवा में रहते हुए याचिकाकर्ताओं के लिए खुद को उच्च योग्यता से लैस करना हमेशा खुला रहेगा। वह विकल्प बंद नहीं होता.

(7) उपरोक्त कारणों से, हमें दिनांक 18.09.2002 (पी-6) की अधिसूचना में कोई भी असंवैधानिक नहीं मिला।

(8) तदनुसार याचिका खारिज की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय अरोड़ा

प्रशिक्षु

न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा